फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	11/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। फाइनल बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दि० 8/2/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	8/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया। पत्रावली नामजद होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अण्डरटेकिंग

यालय माननीय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

हरिनारायण

बनाम

सन्तोष देवी वगैरह

गरानी/प्रार्थना पत्र धारा/वाद संख्या 120/21

हरिनारायण मीना

पुत्र/श्री सुवालाल मीना

ग्राम वाटिका तह० सांगानेर

क्ता का नाम मोहनलाल शर्मा

क्ता का मोबाईल नम्बर 9875007918

सत्यापन

हरिनारायण पुत्र सुवालाल वाटिका तह सांगानेर जयपुर अण्डरटेकिंग देता हूँ कि भविष्य में उक्त विवरण । परिवर्तन करने पर न्यायालय को सूचित कर दूँगा।

नि. हरिनारायण

हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:04:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर—द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

ीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
संख्या : 41/2021
य दिनांक : 6/2/23

नारायण पुत्र सुवालाल जाति मीना उम्र 63 वर्ष, निवासी ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर
ा जयपुर।

वादी

बनाम

तोष देवी पत्नी श्री सीताराम जाति मीना उम्र 39 वर्ष निवासी ढाणी ढोला वाली, ग्राम
टका तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
स्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा

—: निर्णय :—

वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की आराजी खाता सख्या या 951 पुराना 842 के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.7400 हैक्टेयर वाके ग्राम वाटिका टवार हल्का वाटिका, भू0अभि0नि0क्षेत्र वाटिका, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। क्त भूमि ही इस वाद पत्र में विवादग्रस्त सम्पत्ति के नाम से सम्बोधित की गयी है। वादी व सके भाईयों श्योनारायण, श्रीनारायण पिता सुवा के नाम से कृषि भूमि खसरा नम्बर 3138 कबा 0.07 हैक्टेयर व वादी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.7400 क्टेयर ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में से वादी उसके भाईयों श्योनारायण, श्रीनारायण पिता सुवा ने खसरा नम्बर 3138 रकबा 0.07 क्टेयर सम्पूर्ण को व वादी के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.7400 हैक्टेयर में से 0.08 क्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान दिनांक 12.11.2010 को जरिये विक्रय पत्र बेचान किया या था। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 19.11.2010 को उप पंजीयक प्रथम सांगानेर के यहा स्तक संख्या जिल्द संख्या 575 में पृष्ठ संख्या 118 के क्रम संख्या 2010051007405 पर जीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2296 के पृष्ठ संख्या 220 से 229 पर चस्पा किया गया। उक्त भूमि का विक्रय पत्र पंजीयन होने क बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण करवाते समय खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर सम्पूर्ण का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोल दिया। जबकि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर का बेचान किया गया था। जो लिपिकीय त्रुटि से खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर सम्पूर्ण का नामान्तकरण दर्ज हो गया। जबकि खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर का ही नामान्तकरण दर्ज होना था। जब वादी ने दिनांक 04.01.2021 को उक्त खसरा नम्बर की जमाबंदी की नकल ली तब प्रथम बार वादी की जानकारी में आया कि वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर बेची गयी भूमि की जगह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण रकबा का नामान्तकरण संख्या 1280 दिनांक 09.12.2010 के द्वारा लिपीकीय गलती से खोल दिया गया। जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से इस बाबत वातचीत की तो उसने कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:04:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

अब मै ही उक्त खसरा नम्बरान 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर सम्पूर्ण का मालिक हूँ, क्योकि उक्त खसरा नम्बर का नामान्तकरण मेरे नाम खोला गया है और मैं तुम्हे इस खसरा से बेदखल करके रहूंगा। इस कारण यह वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है। अतः वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया किः—

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के कर्मचारियों से मिलीभगत खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.7400 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर बेची गयी भूमि की जगह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण रकबा का नामान्तकरण संख्या 1280 दिनांक 09.12.2010 के द्वारा खुलवा लिया जिसको दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से शेष रही भूमि का वादी के नाम अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 सन्तोष देवी उपस्थित। प्रतिवादी ने जवाब में प्रार्थना पत्र बावत् अनापत्ति पेश किया जिसमें प्रतिवादी ने अंकित किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है। वादी के वाद को निर्णय किया जाने मे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं उक्त प्रकरण में राजहित निहित होने के कारण दिनांक 21.10.2022 को जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली में उभयपक्षों के वकीलों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में वाद वादी डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नही की।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2060—2069 वाके ग्राम वाटिका व बैयनामा 24.11.2010 व वकील वादी की लिखित बहस का आधोपान्त अवलोकन करने व उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि वादी की आराजी खाता सख्या नया 951 पुराना 842 के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.7400 हैक्टेयर वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू0अभि0नि0क्षेत्र वाटिका, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादी व उसके भाईयों श्योनारायण, श्रीनारायण पिता सुवा के नाम से कृषि भूमि खसरा नम्बर 3138 रकबा 0.07 हैक्टेयर व वादी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.7400 हैक्टेयर ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में से वादी व उसके भाईयों श्योनारायण, श्रीनारायण पिता सुवा ने खसरा नम्बर 3138 रकबा 0.07 हैक्टेयर सम्पूर्ण को व वादी के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.7400 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान दिनांक 12.11.2010 को जरिये विक्रय पत्र बेचान किया गया था। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 19.11.2010 को उप पंजीयक प्रथम सांगानेर के यहा पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 575 में पृष्ठ संख्या 118 के क्रम संख्या 2010051007405 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2296 के पृष्ठ संख्या 220 से 229 पर चस्पा किया गया। विक्रय पत्र पंजीयन होने क बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण करवाते समय खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर सम्पूर्ण का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लिपिकीय त्रुटि से गलत इन्द्राज हो गया। जबकि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर का बेचान किया था। जो कि लिपिकिय त्रुटि से खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर सम्पूर्ण का नामान्तकरण दर्ज हो गया। जबकि खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर का ही नामान्तकरण दर्ज होना था। वादी द्वारा खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान के बाद शेष रही 0.66 हैक्टेयर भूमि का वादी के द्वारा निरन्तर उपयोग—उपभोग

उप—खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:44:12 IST
Reason: SelfAttested

ज्या जाता रहा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 की कर्मचारियों की गलती से वादी द्वारा ान की गयी खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.08 हैक्टेयर का गलत इन्द्राज से सम्पूर्ण रकबा 74 का नामान्तकरण खोल दिया। जो कि वादी के हक अधिकारों का हनन है। प्रतिवादी ख्या 1 के हक मे खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.74 हैक्टेयर का नामान्तकरण प्रतिवादी ख्या 2 के कर्मचारियों की गलती को दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.08 टेयर के अलावा शेष रही भूमि 0.66 हैक्टेयर का अपने नाम पूर्व रिकार्ड की भांति घोषणा खाने का अधिकारी है। वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है। वाद वादी डिक्री किया जाता

अतः वाद वादी विरूद प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते कि वादी के खाता संख्या 951 पुराना 842 के खसरा नम्बर 3091 रकबा 0.7400 हैक्टेयर के ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू0अभि0नि0क्षेत्र वाटिका, तह0 सांगानेर जिला यपुर में स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर 08 हैक्टेयर का ही नामान्तकरण इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के हक में किया जावे तथा शेष ी भूमि 0.66 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार जस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। र्णय व पर्चा डिक्री की प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/2/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.12.12 13:04:12 IST
Reason: SelfAttested